अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग
संख्या –2/स्था0–01–30/2011.....671...../आ0प्र0

राज्यादेश

सेवा में

महालेखाकार, बिहार, पटना

द्वारा : वित्त विभाग

पटना–15, दिनांक– 2/3/12

विषयः– अभियंताओं/वास्तुविदों/संवेदकों/राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी निर्माण के तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण देने की परियोजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :स्वीकृत ।

बिहार एक बहु आपदा प्रवण राज्य है। राज्य में बाढ़, सूखाड़, अग्निकांड, भूकम्प, ओलापात, चक्रवाती तूफान, बज्रपात एवं शीत लहर आदि से जान–माल का नुकसान होता रहता है। जहाँ राज्य के 28 जिले बाढ़ प्रवण जिलों के रूप में चिन्हित हैं, वहीं राज्य के सभी जिले भूकम्प प्रवण हैं। राज्य के जो 28 बाढ़ प्रवण जिले हैं, वे सभी भूकम्प के जोन V एवं IV के अन्तर्गत आते हैं। शेष 10 जिले भूकम्प के जोन IV एवं III में आते हैं। जोन V में आने वाले जिले क्रमशः मधुबनी, अररिया, सुपौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधेपुरा एवं किशनगंज हैं, जो नेपाल से सटे हुए हैं। ये जिले भूकम्प की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण बिहार भूकम्प के उच्चतम खतरनाक क्षेत्र में पड़ता है।

2. भूकम्प की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती तथा इसे रोका नहीं जा सकता। परंतु भूकम्प के कारण होने वाली जन–माल की क्षति को कम किया जा सकता है। यह सर्वविदित है कि भूकम्प के कारण लोगों की मृत्यु नहीं होती, परन्तु भूकम्प से जो भवन गिरते हैं उसके कारण मृत्यु होती है। आपदा प्रबंधन के बदलते परिदृश्य में भूकम्प प्रभावितों को साहाय्य पहुंचाने के साथ–साथ यह भी आवश्यक है कि भूकम्प से होने वाली क्षति को कम करने हेतु पूर्व से ही कारगर कदम उठाया जाए। भूकम्प के कारण भवन नहीं गिरें यह तभी संभव है जब राज्य में भूकम्परोधी भवनों का निर्माण हो तथा पूर्व में निर्मित मकानों की रेटरोफिटिंग कर उन्हें भूकम्परोधी बनाया जाए। साथ ही शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण संबंधी अधिनियम एवं नियमावली में परिवर्तन कर यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भी नए भवन बनें वे भूकम्परोधी हों। जापान में इस वर्ष के प्रारंभ में आए भूकम्प ने भूकम्परोधी भवन तकनीक की अनिवार्यता को गहरे रेखांकित किया है।

3. नये भूकम्परोधी भवनों को बनाने तथा पुराने भवनों के रेटरोफिटिंग के लिए आवश्यक है कि सरकार द्वारा निर्माण कार्य में संलग्न सभी साझेदारों का क्षमता वर्द्धन किया जाए तथा संवेदकों एवं आमजन को ऐसे ही भवनों का निर्माण करने हेतु जागरूक किया जाए। इसी क्रम में अभियंताओं, वास्तुविदों एवं राजमिस्त्रयों को भूकम्परोधी निर्माण की तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण देने तथा संवेदकों के संवेदीकरण हेतु विपार्ड से परियोजना प्रस्ताव विभाग द्वारा मांगा गया है।

4. तद्नुसार विपार्ड से संशोधित परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्ताव के अनुसार निश्चित संख्या में अभियंता तथा वास्तुविदों को जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर के

रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। पूर्व में जो अभियंता भूकम्परोधी निर्माण तकनीक में प्रशिक्षण हेतु विभाग द्वारा चेनई भेजे गये थे, उन्हें भी इन जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण कार्य में लगाया जाएगा।

5. विपार्ड में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनरों के रूप में कुल 240 अभियंता एवं 150 वास्तुविद प्रशिक्षित किए जाएगें । इनका प्रशिक्षण समाप्त होने के उपरान्त जिला स्तर पर अभियंताओं का प्रशिक्षण सम्पन्न होगा। जिला स्तर पर कुल 2130 अभियंताओं के प्रशिक्षण का प्रस्ताव है। वास्तुविदों का प्रशिक्षण प्रमंडलीय स्तर पर होगा तथा कुल मिलाकर 270 वास्तुविद प्रमंडलीय स्तर पर प्रशिक्षित किये जाएंगे। जिला स्तर पर निर्माण संवेदकों का संवेदीकरण प्रशिक्षण आयोजित होगा । सभी जिलों में 30–30 संवेदकों की दर से कुल 1140 संवेदकों का प्रशिक्षण होगा। राजमिस्त्रयों का प्रशिक्षण प्रखंड मुख्यालयों पर आयोजित किया जाएगा। कुल मिलाकर लगभग 16,000 राजमिस्त्रयों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन प्रशिक्षणों में बिपार्ड द्वारा Building Material Technology Promotion Council (BMTPC), ग्रामीण विकास ट्रस्ट एवं Professionals for Development का सहयोग प्रशिक्षण हेतु प्राप्त किया जाएगा। प्रशिक्षण में लगभग दो वर्ष का समय लगेगा।

226

6. अतएव बिपार्ड द्वारा समर्पित संशोधित परियोजना प्रस्ताव के अनुसार राज्य के अभियंताओं, वास्तुविदों, संवेदकों एवं राजमिस्त्रयों को भूकम्परोधी निर्माण के तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण देने की परियोजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य एवं जिला स्तर पर प्रशिक्षण का समन्वय कमशः बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं संबंधित जिले के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा किया जाएगा।

7. संशोधित परियोजना प्रस्ताव के अनुसार उपरोक्त प्रशिक्षण में कुल ₹47,30,17,330 (सैंतालीस करोड़ तीस लाख सतरह हजार तीन सौ तीस रूपये) का व्यय आकलित किया गया है।

8. उक्त राशि की व्यवस्था 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण मद से 5 (पॉच) करोड़ तक तथा शेष राशि की व्यवस्था विभागीय बजट से की जाएगी।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2/स्था0–01–30/2011.....671...../आ0प्र0 पटना, दिनांक...2/3/12

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बिहार, पटना/ महानिदेशक, विपार्ड, वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना/ कोषागार पदा0, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2/स्था0–01–30/2011.....671...../आ0प्र0 पटना, दिनांक...2/3/12

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ उप सचिव (स्था0)/ उप सचिव(बजट)/विभागीय योजना शाखा/ स्थापना शाखा (5 अतिरिक्त प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 2/स्था0–01–30/2011.....671...../आ0प्र0 पटना, दिनांक...2/3/12

प्रतिलिपि उपाध्यक्ष/ सभी सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रधान सचिव